

अपील

मुख्य मंत्री राहतकोष से गंभीर बीमारी से पीड़ित गरीब व्यक्तियों के उपचार आपदा से हुए नुकसान में राहत, कमाने वाले सदस्य की मृत्योपरान्त वसुधा परिवार, गरीब परिवारों के मेधादी छात्रों की व्यावसायिक शिक्षा एवं गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्य मंत्री राहत कोष एक ऐसा महायज्ञ है जो केवल और केवल जनता की सहभागिता पर ही निर्भर करता है। इस राहत कोष में दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के अन्तर्गत पूर्णतः आयकर मुक्त है। अतः अंशदान दी गई कोई भी राशि अंशदाता के आयकर में से शत प्रतिशत घटा दिये जाने का प्रावधान है।

गरीबों एवं असहायों की आर्थिक सहायता के इस पुनीत कार्य को अनवरत जारी रखने हेतु 13 मार्च 2020 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विधान सभा में सत्र के दौरान हिमाचल के सभी माननीय मंत्रियों, सांसदों एवं विधायकों से विशेष अनुरोध किया है कि वे अपने एक माह के वेतन को तथा राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (श्रेणी - I से श्रेणी-III तक) से भी अपने एक दिन के वेतन को मुख्य मंत्री राहत कोष में दान करने का आहवान किया है। इस कोष में दान ऑनलाइन व नगद किया जा सकता है। मुख्य मंत्री राहत कोष के बैंक खातों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

HP State Cooperative Bank Chhota Shimla
A/C No: 4060100315 IFSC code: HPSC0000406

H.D.F.C. Bank, Chhota Shimla
A/c No: 50200044568563 IFSC code: HDFC0004116

अंशदान निचे दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकता है:-

www.himachal.nic.in/CMRF

अतः आग्रसे अनुरोध है कि मुख्य मंत्री राहत कोष में अंशदान दे ताकि समय पर जरूरतमंदों की सेवा/सहायता का कार्य सुचारु रूप से चलाया जा सके।

राजिव(सामाजिक प्रशासन विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

नस्ति संख्या:जी.ए.सी.बी(सी)4-1/2013 शिमला-2 दिनांक 19.03.2020
1. समस्त मंत्रीगण सांसद, विधायक हिमाचल प्रदेश
2. समस्त शैक्षणिक सचिव, हिमाचल प्रदेश
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
4. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश

Directorate of Elementary Education,
Himachal Pradesh - 171001

Endst No. EDN-H(PS/DEE)01-2020-Misc-Ins.

18th April, 2020

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Principal Secretary (Edu) to the Government of H.P.
2. The Secretary (GAD) to the Government of H.P.
3. The Joint Director (Admin), Directorate of Elementary Education Himachal Pradesh.
4. The Joint Director(S) Elementary Education, Himachal Pradesh.
5. The Joint Controller (F&A), Directorate of Elementary Education, Himachal Pradesh.
6. Assistant Controller (FAS) Directorate of Elementary Education, Himachal Pradesh.
7. All the Dy. Director Elementary Education, Himachal Pradesh for necessary action in the matter accordingly.
8. All the Assistant Directors, Directorate of Higher Education, Himachal Pradesh.
9. DDO, Directorate of Elementary Education, Himachal Pradesh.
10. All the Block Elementary Education officer of H.P.
11. In charge /Branch Officer(IT) to upload on departmental website.
12. Guard file.

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)

18 APR 2020

शिमला


Director
Elementary Education, HP